राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक 01.04.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:–

क्र. सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।

परन्तु उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों के द्वारा स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत यदि पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेख/लिखत पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12–02)

राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

E:\Raman Ji\Notification_Hindi_A4.doc

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 01.04.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास, तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:–

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
2. अन्य समस्त मामलों में संबंधित क्षैत्र की आरक्षित दर (जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां निकटतम क्षैत्र की आरक्षित दर) से सम्पत्ति का मूल्यांकन करते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायो के द्वारा नियमित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेख/लिखत पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टेक्स/12–01)

राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
''कर–भवन'', अजमेर

क्रमांकः एफ–7(40)जन/2013/6155 – 6604 दिनांकः 01·04·13

अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)वित्त/कर/12-01 एवं एफ.2(60)वित्त/कर/12-02 दिनांक 01.04.2013 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अपने वृत्त के समस्त उप पंजीयकों को अधिसूचना की तत्काल पालना के निर्देश अपने स्तर से भी जारी करें।
9. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर
01/4/13